(c) The Institute of Technology (Amendment) Bill, 2011; and

(d) The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2011.

4. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Lok Sabha:

(a) The National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010; and

(b) The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Bill, 2011.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, the hon. Minister is not there. ...*(Interruptions)*... Sir, adjourn the House. The concerned Minister is not there. ...*(Interruptions)*... Let her come. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJEEV SHUKLA): Sir, she is here. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): Sir, she had some Business in the Lok Sabha.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Krishna Tirath to move the Motion.

GOVERNMENT BILL

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इससे पहले मैं थोड़ा सा इस पर बोलना चाहूंगी कि कहां-कहां, थोड़ा सा संशोधन करके इस बिल को और अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे उस बच्चे में मन पर ...**(व्यवधान)**..

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : अभी भी और संशोधन करना है?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: जो बच्चा वहां किसी भी हालात में आया हो उसके मन पर कोई ऐसा बुरा असर न पड़े। मुझे विश्वास है कि मेरे सभी सांसद साथी जे.जे. ऐक्ट अधिनियम और उपबंधों से भली-भांति परिचित हैं। फिर भी मैं

संक्षेप में दोहराना चाहूंगी कि किशोर न्याय अधिनियम, अप्रैल, 2001 में लागू हुआ था। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा देखरेख में संरक्षण की जरूरतमंद लोगों को, बच्चों को न्याय तथा मुक्ति और विकास के अवसर दिलाने के लिए यह देश का प्रमुख कानून है। ऐसे बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनसे संबंधित मामलों में बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न प्रक्रियाओं और अनुदेशों के जरिए इन बच्चों के पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा में वापिस लाने पर इस अधिनियम पर जोर दिया गया है। इस प्रयोजन अधिनियम में यह विकल्प निर्धारित है जैसे एडोप्शन, चाइल्ड फ्रेंडली पालन-पोषण foster dealing with the matter in the best of interest of children प्रस्तावित संशोधन पर आते हुए मैं आपका ध्यान अधिनियम की इस धारा - 48(2) और धारा - 58 की ओर दिलाना चाहूंगी, जिसमें यह उपबंध है कि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी गृह में रहने वाला बच्चा या देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद, कोई अन्य बच्चा जिसे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटिड डिसीज हो, हैपिटाइटिस - बी हो, टी.बी. जैसे खतरनाक रोगों या दिमागी खराबी के लिए नशीली दवा लेने का आदि होने से पीड़ित होने पर अपेक्षित उपचार के लिए अनुमोदित स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त किसी स्थान पर भेजा जाए और विभिन्न विशेषीकृत referral सेवाओं के माध्यम से उसका अलग से उपचार किया जाएगा। हालांकि सीमित अवधि और प्रभावित बच्चों को विशेष देखरेख और उपचार के प्रयोजन से लगभग अलग रखे जाने से इस उपबंध को भी भेदभावपरक माना गया है, क्योंकि इस उपबंध के कारण प्रभावित बच्चे को अन्य बच्चों से अलग रहना पड़ेगा। माननीय सांसद, इस बात से सहमत होंगे कि जे.जे. एक्ट के इस सब-सैक्शन के अनुरूप इस प्रकार अलग रखे बच्चे के मन के ऊपर जो एक गलत धारणा उत्पन्न होती है या हो सकती है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ जाएगी, जिससे जीवन भर उसे लगेगा कि एक stigma है, मेरे को इस तरह का कोई रोग है कि मुझे अलग कर दिया गया। इसलिए ऐसा segregation नहीं किया जाए। मैं अपने साथी सांसदों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस तथ्य को पुष्टि कर दी है कि मल्टी ड्रग थिरेपी द्वारा जो हमारा लेप्रोसी रोग है, कुष्ट रोग है, सबसे कम संक्रामक है और उसका पूर्ण उपचार हो जाता है तथा एक बार इलाज शुरू होने के बाद यह संक्रमण समुदाय के अन्य व्यक्तियों को फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। जो हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, वह इस तथ्य की पुष्टि करती है कि हैपेटाइटिस-बी और टी.बी., सेक्सुअली ट्रांसमिटिड डिजिजेज़, मेंटली डिस-ऑर्डर या ड्रग एडिक्ट बच्चों को, जिनकी ड्रग्स की लत पड़ जाए, उनसे पीड़ित बच्चों को अलग रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह ऑलरेडि हैल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है। प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है कि चूंकि विशेषज्ञ की राय में ऐसे बच्चों से अलग

व्यवहार किए जाने और उन्हें अलग रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 48(2) को हटा दिया जाए, यह मेरा प्रस्ताव है और यह उपबंध है कि कुष्ठ रोग, सैक्सुअल ट्रांसमिटिड डिसीजेज, हैपिटाइटस-बी, टी.बी. या अन्य ऐसे रोग, जो बच्चों को प्रभावित करने वाले हैं, उनका उपचार विभिन्न विशेषीकृत referral सेवाओं के माध्यम से अलग किया जाए। इस अधिनियम की धारा 58 में भी संशोधन का प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध है कि बच्चों को हटाकर किसी विशेष गृह, बालगृह, आश्रय गृह या किसी संस्था में भेजा जाएगा।

इस संशोधन के अंतर्गत धारा 58 से

"कुष्ठ रोग" और "कुष्ठ आश्रम" शब्द हटा दिए जाएं। "दिमागी खराबी" शब्दों के स्थान पर "मानसिक रोग" शब्दों का प्रयोग किया जाए, "नशाखोर" के स्थान पर "शराब या अन्य नशीली दवाओं की लत के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन से ग्रस्त व्यक्ति" शब्दों का प्रयोग किया जाए, जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अनुरूप हैं और सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य हैं। "मानसिक अस्पताल" के स्थान पर "मनश्चिकित्सीय अस्पताल" या "मनश्चिकित्सीय उपचार गृह" शब्द लगाए जाएं, जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अनुरूप हैं। "नशाखोरों के लिए उपचार केन्द्र" के स्थान पर, "नशे के आदी व्यक्तियों के लिए समेकित पुनर्वास केंद्र" या राज्य सरकार द्वारा मानसिक रोगियों तथा नशे की लत वालों की आदत की रोकथाम के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार की स्कीम के अंतर्गत नशे के आदी व्यक्तियों के लिए इनका प्रावधान किया जाए। पुनर्वास केंद्रों में ऐसे व्यक्तियों के लिए सर्वांगीण पुनर्वास तथा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस केंद्र के अतिरिक्त घटकों में व्यक्ति के पूर्ण उद्धार के उपाय शामिल हैं, जैसे कि जीवन, कौशल, प्रशिक्षण, परिवारों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सहायता तथा अनुवर्ती देख-रेख। ऐसे रोगों से प्रभावित बच्चों के प्रति देखभाल उपबंध हटाने के सीमित प्रयोजन के लिए इस अधिनियम में इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, ताकि बच्चे आत्मसम्मान के साथ जी सकें।

The question was proposed.

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): उपसभापति जी धन्यवाद। यह जो अमेंडमेंट आया है, यह कोर्ट की एक रूलिंग के बाद और दिल्ली में जो कुछ seminars हुए, उन seminars में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हिस्सा लिया, उसमें observation दी गई, तो यह एक अमेंडमेंट आया है। अगर हम अमेंडमेंट को देखें और reason and objects को देखें, तो मेरा ख्याल है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि reasons and objects अमेंडमेंट्स से ज्यादा बड़े हैं। यह एक ऐसा बिल है, ऐसा अमेंडमेंट है, जब हमारी सरकार एन.डी.ए. की सरकार थी, उसे तब 2000 में लाया गया था। आज, दस साल बाद उसमें एक संशोधन लाया जा रहा है। क्योंकि आज हम एक बहुत ही sensitive

question को डील कर रहे हैं, इसलिए मैं माननीया मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सब कहते हैं कि बच्चे देश का future हैं। बच्चे स्कूल में जाएं, बच्चे जेल में न जाएं, बच्चे Juvenile home में न जाएं, observation home में न जाएं, shelter home में न जाएं, ऐसी सबकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? माननीय मंत्री जी, इस बिल को प्रश करने से पहले अगर आप किसी observation home में visit करके आतीं और वहां का क्या हाल है, क्या situation है, वे बच्चे कैसे रह रहे हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी मिलती, तो आप एक अमेंडमेंट नही, और बहुत से अमेंडमेंट्स लेकर आतीं। जो ऐक्ट है, उस ऐक्ट का अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। justice, care and protection of children. Juvenile justice, इसमें तीन बातें कही गई हैं, justice, care and protection. यही सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को न्याय भी मिले, उनकी care भी हो और उनका protection भी हो। जो अमेंडमेंट लाया गया है, मैं इस पर बाद में आउंगा, लेकिन आज अगर हम देखें तो जो बच्चे हैं, उस संदर्भ में थोड़ा सा जो historic fact है, मैं वह आपके ध्यान में जरूर लाना चाहता हूं। Supreme Court में एक केस हुआ था, Legal Aid Committee versus Union of India, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने observe किया था कि The children require the protective umbrella of society for better growth and development as they are not in a position to claim their entitlement. उनको कोई बताने वाला चाहिए। उसके लिए स्टेट को एक foster-father के रूप में पेश किया गया है। इसका मतलब यह है कि बच्चों की देख-रेख, जो unprivileged हैं, जिनकी कोई देख-रेख नहीं कर रहा है, उसकी सुरक्षा, उसकी देख-रेख कौन करेगा, वह सरकार करेगी। कई स्कीम्स बनी हैं। "सर्व शिक्षा अभियान" आया है, आर.टी.आई. आया है, आंगनवाड़ी में काम हो रहा है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये जो बच्चे हैं, ये क्रिमिनल क्यों बन रहे हैं, क्राइम की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो हमें उसमें reasoning और solution, दोनों चीजों को ढूंढने में मदद मिलेगी। रीजन क्या हैं? उसके दो रीजन हैं, Poverty and Illiteracy. अगर इसको थोड़ा सा और elaborate किया जाए, तो 27% बच्चे, जो Juvenile arrest होते हैं, वे illiterate हैं, 37% बच्चे under primary हैं, 72% बच्चे BPL family से आते हैं, 68% बच्चे Middle Class Family से आते हैं और 0.2% बच्चे High Income Group से आते हैं। इसका मतलब है कि अगर poverty and education, इन दोनों का comparison किया जाए, तो बच्चों के क्राइम करने का यह बहुत बड़ा कारण है। जिन बच्चों के हाथ में पेंसिल, कॉपी और बस्ता होना चाहिए, आज उन बच्चों के हाथ में पिस्तौल, चाकू और क्राइम करने के लिए हथियार हैं। क्या इन बच्चों का मिसयूज हुआ है? क्या कुछ लोग अपने इंट्रस्ट के लिए इन बच्चों का ऐसा ग्रुप क्रिएट करके इनको यूज कर रहे हैं?

माननीय मंत्री जी, अगर मैं आपको क्राइम का डाटा दूं, तो वह भी अलार्मिंग है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें जो 32,681 बच्चे हैं, वे हर साल मर्डर, रेप, डेकॉटी, रॉबरी, वल्गरी थेफ्ट, हर्ट और अदर क्राइम में पकड़े जाते हैं। उसमें से 6% लड़कियां हैं। अगर क्राइम रेट को देखा जाए तो आपने अपने

भाषण में, बिल पेश करते हुए जो कहा था, क्या आपके पास उसका डाटा है कि जो बच्चे क्राइम करने के बाद Juvenile home में आए, उन बच्चों में से कितने बच्चों ने उस क्राइम को दुबारा नहीं किया, वे बच्चे वहां से सुधर कर गए हैं? मुझे दो-तीन Juvenile home को विजिट करने का मौका मिला। मैंने वहां पर क्या देखा? मैंने देखा कि वहां पर न peon है, न स्वीपर है, न टीचर है, न डॉक्टर है, न पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही साफ़ टायलेट्स हैं। सुबह उठकर बच्चों का सबसे पहला काम क्या है? वे बच्चे अपने टायलेट्स, अपने बाथरूम साफ करते हैं। अगर आपको उनके बेडरूम में, जहां वे सोते हैं, जाने का मौका मिले तो आप शायद वहां पांच या दस मिनट ठहर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर सफाई का कोई प्रोविजन नहीं है। जब बच्चों से मैन-टू-मैन बात होती है, तो वे बच्चे बताते हैं कि टायलेट साफ करना, कमरा साफ करना, उनका काम है। क्या ये बच्चे, जिनको हम अपने देश का फ्यूचर मानते हैं, जिनको ठीक करने के लिए, बचाने के लिए, समाज का एक अच्छा अंग बनाने के लिए सरकार इतना पैसा खर्च करती है, क्या उनके पास ये सुविधाएं पहुंच रही हैं? उसको चैक करने का सिस्टम क्या है? अगर वे बच्चे सुबह उठकर अपना बाथरूम साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे, तो क्या होगा? उसके अलावा अगर एक Juvenile home में पचास बच्चे हैं, तो कुक कितने हैं? कुक केवल एक है। वह कुकिंग भी बच्चों से ही करवाते हैं। आप हैरान होंगे कि बच्चे अपना खाना, उसके साथ मिलकर आप पकाते हैं और फिर सर्व भी आप ही करते हैं। वह डाइट कैसी है, उसको चैक करने का भी कोई प्रोविजन नहीं है। Juvenile home का जो सुपरिडेंट है, वह एक रिपोर्ट लिखता है कि आज का यह खाना दिया गया और खाना अच्छा था। अगर कहीं हमें वहां जाकर खाने का मौका मिले, तब हम सोचेंगे। अभी पीछे माल्न्यूट्रिशियन के बारे में डिस्कशन हुई थी कि कितने बच्चे अंडरवेट हैं, मालन्यूट्रेंट हैं। वहां पर बच्चों को जो भोजन दिया जाता है वह कैसा है, कौन चैक करता है, मीनू कौन तैयार करता है, प्रिपेरेशन कैसी होती है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जहां बच्चे रह रहे हैं, मेरा ख़याल है कि वहां कोई भी बच्चे से काम नहीं करवाता है, लेकिन जो बच्चा Juvenile home में, observation home में, shelter home में चला जाता है, सुबह से लेकर रात तक के सारे काम, जो एक मां करती है, वे सब उसको करने पड़ते हैं। उस समय स्टेट की रिस्पॉसिबिलिटी कहां चली जाती है? वहां जिन पेड लोगों को रखा है, वे क्या करते हैं? क्या हमने कभी चैकिंग की? क्या हम कभी देखने गए कि बच्चे करते क्या हैं? उनको कौन सा माहौल मिल रहा है? ये सभी बातें आपको ध्यान में लानी होंगी। मैं आपको एक instance बताना चाहता हूं कि जब Juvenile court में बच्चों का case चलता है, तब उनके हाथ में, दूसरे बड़े लोग भी होते हैं, तो बच्चों का केस Juvenile court में चला जाता है और दूसरों का case सेशन जज के पास चला जाता है। कई instances में ऐसा हुआ है कि बच्चों के केस अभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो बड़े लोग थे, वे बरी हो गए। ऐसे केसेज में सिर्फ यह करना था कि उस कोर्ट की जजमेंट लेकर Juvenile Court में देनी थी और वे बच्चे भी छूट जाने थे। लेकिन महीनों, सालों तक वे बच्चे कोर्ट में जाते हैं और

वापस आ जाते हैं, कोई भी इस बात की ओर ध्यान नहीं देता कि एक juvenile जेल में है और उसके साथी adults छूट गए हैं। इसे कभी कोई check नहीं करता। सिर्फ date दिलवाना और बच्चों को वापस लेकर आना, यही उनका काम है। अगर इस ओर भी थोड़ी सी स्टडी की जाए और ध्यान दिया जाए, तो बहुत से बच्चे juvenile homes से, चाहे उन्होंने crime किया हो या न किया हो, वह तो बाद की बात है, वे जेलों से छूट सकते हैं।

सर, जब यह एक्ट बना, तो उसमें तीन बातों को prohibit किया जाए कि उन्हें use न किया जाए, ताकि बच्चे के मन के ऊपर इसका असर न हो जाए - पुलिस, जेल और कोर्ट। बच्चे यह न सोचें कि हम पुलिस के पास हैं, हम जेल में हैं और हम कोर्ट जा रहे हैं। इसीलिए कोर्ट को बोर्ड का नाम दिया गया और जेल को होम का नाम दिया गया, ताकि बच्चे के मन में यह बात न आए कि वह criminal है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने बोड्र्स गठित हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कहीं भी एक बोर्ड गठित नहीं हुआ है। बच्चे कोर्ट में जाते हैं और पुलिस उन्हें लेकर जाती है। उनके दिमाग में वही impression रहता है कि हम जेल में हैं और हम कोर्ट में जा रहे हैं। हमें इस बात के ऊपर भी विचार करना चाहिए।

सर, conventions के अन्तर्गत जो treaties हुई हैं, चाहे वे बीजिंग में हुईं या रियाद में हुईं, हम उन सभी treaties के signatory हैं। अगर देखा जाए, तो juvenile का केस maximum दो महीने में decide होना चाहिए। किन्हीं और circumstances में कि कहीं कोई witness नहीं आया या और कोई बात हो गई, तो दो महीने की extension दी जाती है। अगर किसी juvenile का केस 6 महीने में decide नहीं हुआ, तो वह केस automatically खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन, माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप सारे juvenile homes से एक रिपोर्ट मंगाएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं, जिनके केस 6 महीने से ऊपर चल रहे हैं, तो आपको सभी बच्चों के केस 6 महीने से ज्यादा के मिलेंगे यानी वे automatically खत्म नहीं हुए। अगर केवल लॉ बनाना है, उसे implement होना नहीं है, तो फिर फायदा क्या है, क्योंकि कोई check नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई उन बच्चों के पास जाता नहीं है। इसलिए उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जो कानून बने, वह implement हो। आपने Statement of Objects and Reasons दिए हैं, लेकिन अगर हम ये objects पूरे न कर पाएं, तो हमें इस amendment का कोई लाभ नहीं होगा, हमें इस एक्ट का कोई लाभ नहीं होगा।

सर, एक्ट में एक प्रावधान है कि social workers to be associated with the Juvenile Justice Board and the Child Welfare Committee under the Chairmanship of a retired Judge to be constituted.

लेकिन, आप ज़रा विचार कीजिए कि कहां-कहां, किन-किन राज्यों में एक रिटायर्ड जज के अन्तर्गत इस कमेटी का गठन हुआ है। ये सारे provisions इसलिए बनाए गए थे, ताकि बच्चों को उनका पूरा हक मिले और जब रिटायर्ड जज इन बोड्र्स की working देखें, तो वहां पर उन बच्चों को न्याय मिल सके।

अगर हम crime की बात करते हैं, तो दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है, मैं आपको सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा, कि इतना होने के बाद, बच्चों की free education, बच्चों की health, ये सारे प्रावधान होने के बाद भी day by day जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस ने arrest किया है, 2008 में उनकी संख्या 523 थी, 2009 में यह बढ़ कर 586 हो गई, 2010 में यह बढ़ कर 627 हो गई और 2011 में जून तक का जो data है, यह 430 है। इसका मतलब यह है कि day by day juvenile arrest बढ़ रही है। अभी कुछ समय पहले प्रधान मंत्री जी के Media Advisor, मि. खेरे, के घर चोरी हुई थी। वहां चोरी करने वाले लोग कौन थे? उसमें भी दो juveniles arrest हुए थे।

वहां यह चोरी 30 जून को हुई थी। इसलिए, जो juveniles हैं, उनको सुधारने की बजाय कहीं हम उनको क्राइम में तो नहीं धकेल रहे हैं? आज organised way से इन बच्चों का शोषण हो रहा है। वह कैसे? जो बच्चे sexually शोषित होते हैं, बड़े-बड़े क्राइम करने वाले आर्गेनाइज्ड ग्रुप्स इन बच्चों को हायर करके, इनको फुसला कर या इनकी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठा कर क्राइम में घसीटते हैं। कई बार इनको यह आश्वासन दिया जाता है कि बच्चों, आप क्राइम करो, कोई बात नहीं, आपकी बेल भी हो जानी है और छूट भी जाना है। अगर ऐसी psychology इन बच्चों के मन में डाली जाती है, तब naturally ये क्राइम की तरफ बढ़ेंगे।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम-से-कम आपने जो shelter homes, juvenile homes और observation homes बनाए हैं - मैं एक juvenile home में गया था और वहां के बच्चों के साथ दो घंटे बिताए थे। जब मैं वहां से वापस आने लगा तो एक बच्चे ने मुझसे लिपट कर कहा कि अंकल, आप दोबारा यहां कब आओगे? मैंने उससे प्यार से पूछा कि बात क्या है? उस बच्चे ने बताया कि अंकल, हमसे जो बातें आपने की हैं, वे बातें हमें बताने या सुनाने वाला यहां कोई है ही नहीं। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी कोई खेले, हमें कोई पढ़ाए या कोई डॉक्टर हमें देखने आए। जब मैंने, as a member of Punjab Human Rights Commission, एक recommendation दी कि इन बच्चों के लिए खेल के सामान juvenile home में होने चाहिए, तब उसका जवाब आया कि नहीं, अगर हमने उन्हें खेल के सामान दिए तो बच्चे उसके लिए आपस में लड़ेंगे और एक-दूसरे के सिर फोड़ेंगे, इसलिए हम उन्हें खेल के सामान देना नहीं चाहते। मतलब, बच्चों को खेल के सामान नहीं देने हैं, उसके लिए एक बहाना तैयार है। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं और उनका entertainment

होगा नहीं, तो वे 24 घंटे क्या सोचेंगे? वे वही सोचेंगे, जो मैंने वहां पर observe किया। वहां एक बच्चा मर्डर के केस का था और दूसरे ने किसी की जेब काटी थी। वह उसे सिखा रहा था कि मर्डर कैसे करना है। क्या बच्चों को हमें यह सिखाना है कि मर्डर कैसे करना है या हमें उन बच्चों को ठीक बना कर, पढ़े-लिखे इंसान बनाकर इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए उनका योगदान दिलवाना है, यह विचार हमें करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि अपनी बात कुछ जल्दी खत्म करने के लिए मुझे इशारा हो रहा है।

माननीय मंत्री जी, इसमें आपने उन बच्चों को शिफ्ट करने के लिए प्रावधान बताया है, लेकिन इस एक्ट में यह कहीं नहीं बताया कि इस सारे काम की cost कौन bear करेगा। अगर एक बच्चा, जो addict है, उसे कोई mental problem है या उस बच्चे का behaviour drugs अथवा अल्कोहल के कारण change हो गया है, अब अगर उसको किसी नर्सिंग होम में या सिविल हॉस्पिटल में आप शिफ्ट करेंगे तो उसका खर्चा कौन bear करेगा? कहीं ऐसा न हो कि आपने किसी बच्चे को juvenile home से किसी हॉस्पिटल में या किसी नर्सिंग होम में शिफ्ट किया और बाद में उसके parents को उसका बिल भेज दिया। इसमें कहीं भी यह प्रोविजन नहीं है कि उस बच्चे के शिफ्ट करने की cost स्टेट देगी। तो कृपया आप आज ही यहां पर announce कीजिए कि जो ऐसे बच्चे हैं, उनकी देखरेख स्टेट के खर्चे पर की जाएगी।

सर, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे निवेदन करता हूं कि यह amendment बिल्कुल ठीक है और इसको करना चाहिए। लेकिन, उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन बच्चों के मन में हीनभावना न पैदा हो। यदि उनको leprosy है, वे addict हैं या वे अल्कोहल से addict हैं, तो इसको देखने के लिए भी उन बच्चों का psychological treatment होना चाहिए। इसके लिए counselling भी एक बहुत बड़ा साधन है। मैं आपके ध्यान में एक बात यह लाना चाहता हूं कि ऐसी ही एक जगह पर एक एन.जी.ओ. दिवाली के दिन, दशहरे के दिन, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जाता था, लेकिन वहां की सरकार ने उसे बैन कर दिया कि आप वहां नहीं जा सकते। तो अगर इन दिनों में NGOs वहां नहीं जाएंगे, उन बच्चों के साथ ये दिन नहीं मनाएंगे, तो उन बच्चों के मन में अपने आप हीन भावना पैदा होगी। सर, मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के मन से criminal attitude को खत्म करने के लिए उनकी permanent counseling हो, उनकी brain washing हो, ताकि वे नेक इंसान बनें। ऐसा प्रयास भी हमें करना पड़ेगा।

सर, मैं एक बार फिर माननीय उपसभापति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस एक्ट पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यह इच्छा करता हूं कि जिस भावना से हमारी सरकार ने, एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने, यह एक्ट बनाया था और जिस भावना से हमने internationally treaty sign की है, उसी भावना से इस एक्ट को नीचे तक लागू किया जाए और उन बच्चों का कम-से-कम एक database तैयार किया जाए कि हमारे efforts के कारण

कितने बच्चे एक बार क्राइम करने के बाद दूसरी बार जेल में नहीं आए। अगर यह database हम नहीं बनाएंगे, तो हमारे एक्ट बनाने का, हमारे efforts का या इस पर पैसा खर्च करने का कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, this particular Bill is a very important one because the people who are affected by it are children. Recently, the Supreme Court also took cognisance of such an issue even after 24 years. The person, who was juvenile at the time of commission of the offence, was released on the basis of the principles of juvenile justice. This amendment is very important as it protects the people who are already affected. We have to provide them some solace, show mercy and bring them to the mainstream of the society as good citizens. Therefore, I fully support this Bill. I congratulate our hon. Minister for taking such a venture in regard to this juvenile justice. Thank you.

श्री गंगा चरण (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं माननीया मंत्री, कृष्णा तीरथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसके अधिनियम की धारा 48(2) और 58 में जो संशोधन किया गया है, उसमें यदि इस अधिनियम की धारा का कोई अधिकारी पालन नहीं करता है, तो उसे क्या सजा दी जाएगी, इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है। मेरा कहना यह है कि इसमें सजा का प्रावधान भी होना चाहिए।

महोदय, बच्चे गलत संगत में पड़ कर यदि धोखे से कोई अपराध कर देते हैं, कभी-कभी यह देखा जाता है कि आपसी और पड़ोसियों की लड़ाई में लोग छोटे बच्चों को भी फंसा देते हैं, जिसके कारण उनका career खराब हो जाता है। हम लोग गांव से संबंध रखते हैं। मैं गांव में देखता हूं कि जब बड़े लोगों में झगड़ा होता है या दो परिवारों में झगड़ा होता है, तो लोग ईर्ष्यावश परिवार के युवा पीढ़ी के बच्चों को तबाह करने के लिए FIR में उनको भी नामित कर देते हैं। कभी-कभी देखा जाता है कि 302 जैसी धारा के तहत भी, जिनमें मृत्यु दंड का प्रावधान है, बच्चों को झूठा फंसा दिया जाता है और उन बच्चों का पूरा जीवन तबाह हो जाता है।

महोदय, मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है, जिसे मैं यहां उद्धरित करना चाहता हूं। जब पांडवों से कौरव परास्त हो गए थे और दुर्याधन घायलावस्था में पड़ा था, तब अश्वत्थामा उनसे मिलने गए, तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम मेरे मित्र हो और मेरे गुरु के पुत्र हो, मैं परास्त हो गया हूं, मेरे सारे भाई मारे गए हैं, इस हालत में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा बहुत ही बहादुर था और उन्हें अमरत्व का वरदान था। उसने

कहा कि मित्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम मांगो। इस पर दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मुझे पांडवों के बच्चों के पांच सर चाहिए। वह कैम्प में गया और पांडवों के बच्चों की हत्या कर दी। मैं बताना चाहता हूं कि समाज में ऐसा होता है। उन बच्चों की जिंदगी को तबाह होने से बचाने के लिए भी इस एक्ट में कुछ प्रावधान करना चाहिए। जो बच्चे हमारे घरों में काम करते हैं, उन पर चोरी के असत्य इल्जाम लगा देते हैं। घर में कोई चोरी हुई, तो कह दिया जाता है कि इस नौकर ने की होगी। हम टेलीविजन पर देखते हैं कि उन्हें कितनी पिटाई लगाई जाती है। उनकी खाल तक उधेड़ दी जाती है। यदि आप बच्चों की देखरेख की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो इस एक्ट में इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, जो बच्चे नशे के आदी हो गए हैं, स्मैक के आदी हो गए हैं, इस काम के लिए बहुत से गिरोह चल रहे हैं, बच्चों को स्कूलों में स्मैक की सप्लाई होती है और बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, उनके परिवार वाले उनको पुलिस के सुपुर्द कर देते हैं। उनके सुधार के लिए आपने यह प्रावधान किया है कि उनको स्थानांतरित किया जाएगा।

महोदय, ये जो बाल सुधार गृह बनाए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बाल सुधार गृह हैं। उनमें जेल से भी बदतर यातनाएं दी जाती हैं। जैसा अभी मेरे साथी ने कहा, मैं भी वहां गया हूं और देखा है कि वहां जेल से भी बदतर हालत है। वहां जो जेल अधिकारी होते हैं, जेल की पुलिस होती है, वे बच्चों का यौन शोषण तक करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसमें इस तरह की एक कमेटी बननी चाहिए, जिसमें लोकल सांसद, जनप्रतिनिधि और विधायक हों, जो juvenile जेलों का निरीक्षण करे और यदि किसी के विरुद्ध कोई शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

महोदय, हम योग की शिक्षा के द्वारा भी उन बच्चों में सुधार ला सकते हैं, जो नशे के आदी हो गए हैं। बहुत से बच्चे गलत संगत के कारण क्रिमिनल भी हो गए हैं। बच्चों को क्राइम करना भी सिखाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे बच्चों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए योग शिक्षक को नियमित रूप से जेलों में जाकर बच्चों को योग शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। साथ ही, जो भी NGO बच्चों के सुधार के लिए उन जेलों में काम करना चाहते हैं, उनको भी allow किया जाए। यह हमारी युवा पीढ़ी के लिए सब से बड़ी समस्या बन गयी है।

महोदय, आज जिस तरह से टेलिविजन पर अश्लील advertisements दिखाए जा रहे हैं, उस से बच्चे बिगड़ रहे हैं और यह मां-बाप के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। महोदय, आज युवा पीढ़ी जिस तरह से नशाखोरी और क्राइम की तरफ भाग रही है, जेल उन के लिए बड़े अड्डे बन गए हैं। जो चीज कहीं नहीं मिलती, वह जेल में available हो जाती है। मैं यह कह सकता हूं कि जो बच्चे बिगड़े न हों वे जेल में जाकर बिगड़ जाते हैं। इस तरह मैं कह सकता हूं कि वे बाल सुधार गृह नहीं हैं, क्योंकि वहां तो जो अच्छे बच्चे जाते हैं, उन को भी बिगाड़ा जाता है, उन का उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें नशा करने के लिए प्रेरित किया जाता है और ऐसा नहीं करने पर, बिगड़े बच्चों के द्वारा उन अच्छे बच्चों की पिटायी की जाती है।

महोदय, इस विधेयक में बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि जिन्हें tuberculosis व एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं या जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधेयक अभी भी अपर्याप्त है।

इसमें और सुधार की जरूरत है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तथा और लोगों ने भी मांग की, तब आप यह संशोधन विधेयक लाये हैं, तो इसमें और भी सुधार होना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए मैं माननीया मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि युवा-पीढ़ी के लिए यह एक बहुत लोक महत्व का विषय है, इसमें और सुधार किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती झरना दास वैद्य (त्रिपुरा): महोदय, जुवेनाइन जस्टिस अमेंडमेंट बिल, 2010 का जो motive या object है, उसका मैं सपोर्ट करती हूं। वर्ष 2000 में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना था, आज उसको दस साल हो गये हैं। इसमें मैंने देखा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया है कि हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में तीन टाइप्स की कमिटी होनी चाहिए, (एक) जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, (दो) चिल्ड्रेन वेलफेयर कमिटी और (तीन) स्पेशल पुलिस युनिट। क्योंकि, मैं वर्ष 2004 से जनवरी, 2010 तक सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन थी और त्रिपुरा में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की भी चेयरमैन थी, इसलिए मैंने देखा है कि जुवेनाइल होम के लिए जो प्रोविज़न है, उस पर जुवेनाइल होम के संबंध में ठीक ढंग से कुछ नहीं हुआ है।

जुवेनाइल होम में कोर्ट भी होना चाहिए जिसमें एक रिटायर्ड जज होना चाहिए, लेकिन कोर्ट बाहर है। ऐडल्ट के लिए जो कोर्ट है, वही कोर्ट जुवेनाइल के लिए भी है। बच्चों को कोर्ट में ले जाया जाता है और गाड़ी से उनको वापस लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे भारत के बारे में जो कहा है, उससे पता चलता है कि गरीबी इसका प्रधान कारण है।

हमने यह देखा कि सात साल का एक बच्चा स्कूल से आकर क्रिकेट खेलने के लिए बैट लेकर गया। वहां एक बच्चे का बैट बहुत अच्छा था, जबकि दूसरा एक बच्चा, जो कि गरीब था, उसका बैट अच्छा नहीं था, वह कम दाम का था। उस बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि तुम अपना बैट मुझे दे दो और मेरा बैट तुम ले लो, लेकिन दूसरे बच्चे ने अपना बैट नहीं दिया। वह बच्चा जहां खेलने के लिए गया था, वहां उसने उस बच्चे से बैट लेकर उसे मार दिया। उसने उसे इतने जोर से मारा कि उस बच्चे की on spot death हो गयी। वह बच्चा सात साल का था। मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम यहां क्यों आये हो? उसने कहा, हमारे पास अच्छा बैट नहीं है, उसके पास है, वह मुझे नहीं देता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसकी मम्मी बहुत गरीब है और वह घरों का काम करती है। वह कहती है कि यह बच्चा खूनी है, मैं इसे नहीं ले जा सकती। वह बहुत minor बच्चा है और अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है, लेकिन उसकी मम्मी उसको लेना नहीं चाहती, हमने बहुत try किया है।

अब मैं काउंसलिंग के बारे में कहना चाहती हूं। जो काउंसिलर है, वह महिला कमीशन से आता है और एस.सी.सी. से जाता है। जुवेनाइल के लिए आज तक कोई काउंसिलर नहीं है, तो इसके लिए काउंसिलर होना चाहिए। इस बिल का जो object है, वह अच्छा है। इस बिल में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसकी implementation सही ढंग से होनी चाहिए। हमने आइन बनायी है और बहुत सारे क़ानून हैं। मैंने देखा कि 13 साल की एक लड़की ने अपने पिता को मार दिया। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने पिता को क्यों मारा, वह तो तुम्हारे लिए भगवान जैसा था, फिर क्यों उसे मारा? तब उसने बताया कि वह उसकी मम्मी को हर रोज मारता था। मम्मी घरों का काम करती है और जो पैसा वह लाती थी, उसको वह दारू पीने के लिए ले जाता था और दूसरी औरत को दे देता था। इसलिए, एक जिन जब वह सो रहा था, तब मैंने चाकू से उसको मार दिया। इसके बाद जब मैंने यह पूछा कि क्या तुम वापस नहीं जाओगी, तब उसने बताया कि मैं नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी। ऐसे ही काउंसिलिंग की बहुत जरूरत है।

सर, अब मैं सेक्सुअल ह्रासमेंट के बारे में कहना चाहती हूं। एक लड़का बहुत गरीब था, जिसे अमीर घर की एक लड़की पसन्द करती थी। जब वह राजी नहीं हुआ, तब लड़की ने उस पर असत्य इल्ज़ाम लगा दिया। वह लड़का नाइन्थ क्लास में पढ़ता था और पढ़ाई में उसे अच्छी कामयाबी भी मिली थी, लेकिन इससे उसकी लाइफ खत्म हो गयी। हमने पूछा कि तुमने जो अपराध किया था, वह तो खत्म हो गया, वह अपराध तो अब तुम्हारे ऊपर नहीं है, तब तुम फिर से पढ़ने क्यों नहीं जाते? लेकिन, वह लड़का पढ़ाई के लिए जाना ही नहीं चाहता था। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा।

सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि लैटिन अमेरिका और ब्राजील में पहले गरीबी को identify किया गया है। मैंने ब्राजील में देखा है कि जो गरीब माता-पिता हैं, उनको financial assistance दी जाती है। जहां बच्चे काम करने के लिए भेजे जाते हैं, वहां से उनको वापस लाया जाता है और उन्हें स्कूल भेजा जाता है। हम ऐसा इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? गरीबी इतनी है कि जब बच्चे चाय स्टॉल में जाते हैं, तो वे मालिक के पास बहुत सारा पैसा देखते हैं। तब उन्हें यह लगता है कि हमें भी पैसे चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... फिर वे इसके लिए चोरी करते हैं और उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है तथा जुवेनाइल होम में डाल देती है। 6-7 और 9 साल के कई छोटे-छोटे गरीब बच्चे बांगलादेश से आ जाते हैं, जिनको पुलिस जुवेनाइल होम में डाल देती है। सर, सब बच्चों के लिए एक ही तरीके की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। किसी को दो साल की पनिशमेंट दे दी जाती है, किसी को चार साल की पनिशमेंट दे दी जाती है। इसलिए काउंसिलिंग की बहुत जरूरत है। ...**(समय की घंटी)**... जुवेनाइल होम में हैल्थ या जो भी विषय हो, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रहनी चाहिए।

श्री उपसभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती झरना दास बैद्य: सर, वहां कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके लिए government की कितनी financial assistance है, इस बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया है। मैंने मंत्री जी को पहले भी देखा है और उनके

साथ मीटिंग भी की है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड में बच्चों के बारे में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज तक गरीबी के बारे में, actual education के बारे में, सभी बच्चे स्कूल जाएं, ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: आपका टाइम खत्म हो गया है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती झरना दास वैद्य: सर, एक मिनट है। मैं यह कहना चाहती हूं कि बिल में जो कुछ है, वह तो ठीक है, लेकिन सभी बच्चों को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। उनके लिए अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अलग-अलग रूम्स होने चाहिए। उनके साथ एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। किसी ने ख़ून कर दिया और किसी ने बांगलादेश से आकर चोरी की, उन दोनों का अपराध एक नहीं है। इसलिए, अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... डॉक्टर्स, काउंसिलर, अलग पुलिस, स्पेशल पुलिस यूनिट, सब कुछ रहना चाहिए, तभी यह implement होगा। आपको स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मदद देनी चाहिए। आप एनजीओज़ के बारे में कम सोचिए। आप एनजीओज़ को दे देते हैं, लेकिन वे ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं।

श्री उपसभापति: अब आप खत्म कीजिए। श्री शशी भूषण बेहेरा।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar) : Sir, she spoke well.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : She may have spoken well, but we have to keep the time-limit in mind, please conclude now.

एक माननीय सदस्य : सर, इनको सभी ओर बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति : नहीं, वक्त भी देखना है। श्री शशीभूषण नेहेरा।

SHRI SHASHI BHUSAN BEHERA (Orissa): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me an opportunity to participate in this Amendment Bill.

Sir, I must thank the hon. Minister for she rushed from the other House to this House and took pains to present this Bill. She is a mother and mothers take more care than fathers. That is the tradition and practice in our country. Mothers are more careful about children; mothers are always ahead in caring children.

This Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 was enacted to provide juvenile justice system to juveniles and children who are in need of care and protection for their development. This august House has certainly utmost and moral responsibility to pass this Amendment Bill. Certainly, I am supporting this Amendment Bill to amend the original Act of 2000. The hon. Minister brought these amendments which are connected to Section 48(2) and Section 58

which clearly speak of the provisions regarding juveniles or children who, under compulsion, are staying in the juvenile houses or homes because of the disease like leprosy, sexually transmitted disease, Hepatitis B, open cases of Tuberculosis and, in some cases, are of unsound mind or have to stay in asylum or rescue homes for a temporary period. They are staying there under compulsion. But instead of treating their diseases, they are mentally tortured. So, they need mental care. If you segregate them from these caring centres and put them in other places, they will suffer mentally. They are already separated from their parents and are staying, under compulsion, in asylums. Now, if they will be segregated from these caring centres, they may severely suffer from mental disease. Many such recommendations are there. Children who are suffering from diseases like leprosy, which is not a contagious disease, are also put under this category. Delhi High Court has given a specific order on this that these children should be treated in a normal manner like other children who are suffering from various other normal diseases. This august House has also made a recommendation on this in its report. So, these are all supporting recommendations in support of this amendment. Hon. Minister has brought this amendment; I support this amendment. Children who are suffering from various problems and are being abused by social system should be given proper protection and proper care. Other Members have spoken about so many other progressive amendments which are also essential for the protection of our children. They are being subjected to cyber crime. ...**(Time-bell)**... Even in agitation movements, children are being used with which they are not directly related.

The children are also being used for activities to which they are not directly related. This is also a different issue. This august House should consider these things. With these words, I support this amendment Bill.

SHRI RANJITSINH VIJAYSINH MOHITE-PATIL (Maharashtra): Thank you very much, Sir, for giving me time. I agree with all my hon. colleagues and the suggestions they have given. I would just like to give a small suggestion कि 2006 में यह बिल लाया गया था और उस वक्त इसकी juvenile age बढ़ाई गई थी और उसको 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया था। I would like to request the hon. Minister just to have a re-thniking because आज जो avenues 15-16-17 साल के बच्चों को मिल रहे हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। इसलिए यह जो उम्र बढ़ाई गई है, इसके बारे में re-thinking की जाए और बड़े बच्चे, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको juvenile बताकर, उनका इस्तेमाल विभिन्न crimes में किया जा रहा है, इस ओर ध्यान दिया जाए। इसलिए ये सजेशन देते हुए, I support the Bill.

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति जी, यह मंत्री महोदया का सराहनीय कदम है। हालांकि यह idea 1850 में आया था, उस समय यह अवधारणा आई थी और 1919-20 में जेल कमेटी ने यह recommend

किया था कि वयस्क अपराधियों की तुलना में, बाल अपराधियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद The Children Act 1960, बाल न्याय एक्ट 1986 तथा वर्तमान कानून जो सन् 2000 में बना, ये कानून हमारे सामने आए, लेकिन मुझे बड़ा दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वह idea जो 160 साल पहले आया था और उसके मुताबिक इस ऐक्ट में जो सुधार होने चाहिए थे, वे सुधार नहीं हो पाए। बाल अपराध बढ़ने का कारण है - औद्योगिक, शहरीकरण, गरीबी; जिसके कारण यहां के बच्चों की समस्याएं बढ़ती गईं। आज सबसे बड़ी समस्या इन बच्चों पर चोरी का इलज़ाम लगाए जाने की है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि केवल कानून बना देने से ही बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, जब तक कि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति न हो। इसलिए यह जो विधेयक आया है, मैं इसका समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले प्रिंसिपल ऐक्ट के सैक्शन 48 और 58 में जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, उनका स्वागत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून के क्रियान्वयन में बहुत सी कमियां हैं। बच्चों की आयु निर्धारण के संबंध में, अलग-अलग trials, कोर्ट की कार्यवाहियां, माता-पिता या अभिभावकों को अभियोगों की सूचना देने आदि के संबंध में कई कमियां हैं। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री महोदया इन मुद्दों पर विचार करें, ताकि उनको पक्षपातपूर्ण मुद्दों से बचाया जा सके।

उपसभापति जी, इस एक्ट का मूल उद्देश्य केवल किशोरों को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि उनकी देखभाल हो और किशोर crime rate में कमी आए। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों को देखेंगे, तो पता चलेगा कि किशोर क्राइम रेट बढ़ रहा है, उदाहरण के लिए 1999 में यह 0.9 परसेंट था, जो देश के कुल क्राइम रेट का 0.5 परसेंट था; वर्ष 2005 में यह बढ़कर 1.8 परसेंट हो गया और कुल क्राइम रेट का 1.0 परसेंट हो गया। ताजा आंकड़ों के अनुसार यह लगभग 2.5 परसेंट पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि बच्चों में क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसलिए इसके कारणों को खोजना और उनका निवारण करना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार इसको रोकने में असफल रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से अपील करूंगा कि यह ग्राफ बढ़े नहीं, बल्कि कम हो, खत्म हो, इसके लिए वे इस पर समुचित ध्यान दें।

उपसभापति जी, कानून के अनुसार हर जिले में observation homes होने चाहिए, जहां पर ऐसे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जाए और उनके लिए skill building तथा workshop की सुविधा भी हो। उन्हें वैज्ञानिक मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए, ताकि जब वे यहां से बाहर आएं, तो अपनी रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम कर सकें। हममें से ज्यादातर लोगों को यह पता है कि सैंकड़ों ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां इस प्रकार के होम्स नहीं है, जहां हैं भी, उनकी हालत बड़ी दयनीय है।

इन होम्स में किशोरों को आश्रय देने और उनकी भलाई के नाम पर हॉल में बंद कर दिया जाता है। कभी

उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती है और उनसे बर्तन धुलवाने, फर्श की सफाई करने, कपड़े धोने आदि का काम लिया जाता है। तो मैं मंत्री महोदया से कहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

Sir, the basic right of children are Right to Education, Right to Freedom of Expression, Right to Information and Participation, Right to Nutrition and Healthcare, Right to Protection from Harm, Rights related to Name, Identity and Nationality etc.

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री आर.सी. सिंह: सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। Free education under article 21A, Right to protection from hazardous employment under article 24 ...

श्री उपसभापति: वह सब मंत्री महोदया को भिजवा दीजिए।

श्री आर.सी. सिंह: मंत्री जी को दे देंगे, लेकिन जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, देखा यह जाता है कि किशोरों को इन सबसे वंचित रखा जाता है। अगर हम Family laws को देखें, तो इसमें जायज़ और नाजायज़ बच्चों के आधार पर भेद किया जाता है। उनके माता-पिता की शादी का स्टेटस क्या है, उससे उनके भविष्य का निर्धारण किया जाता है और उनको उसका वारिसनामा भुगतना पड़ता है।

श्री उपसभापति: आप अपने सजेशन्स उनको भिजवा दीजिए।

श्री आर.सी. सिंह: ठीक है, उनको दे देंगे, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर रेप केस में कहीं कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? समाज उसको ग्रहण नहीं करता है, माता-पिता की प्रॉपर्टी में उसको अधिकार नहीं मिलता है, जबकि उसमें उसका कोई दोष नहीं होता है, इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। भारत में विश्व के कुल 4 प्रतिशत बच्चे रहते हैं और उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदया का यह जो सराहनीय कदम हे, उसमें इन बातों पर वे विचार करें, धन्यवाद।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : उपसभापति महोदय, यह बात ठीक है कि मैंने जो यहां अमेंडमेंट बिल रखा है – The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010 - इसमें बहुत सारी बातें कही गईं। मेरे ख्याल से यहां अभी सात मैम्बर्स बोले, जिनमें सबसे पहले श्री अविनाश राय खन्ना जी बोले। मैं जानती हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि राज्यों में इन होम्स की हालत खराब है, लेकिन मेरा यह जो संशोधन था, वह बीमार बच्चों से संबंधित था, जिसमें सैक्शन 48 और 58 में अमेंडमेंट करने की बात कही गई थी। फिर भी जो कुछ इन्होंने कहा, वह ठीक है और मैं थोड़ा सा बैकग्राउण्ड इनको बताना चाहती हूं कि इस ऐक्ट के तहत कैसे बच्चे

आते हैं - सबसे पहले जो बच्चे आते हैं, उनको पहले हम Observation Home में रखते हैं। Observation Home में देखने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट यह बताए कि इसने कोई क्राइम किया है, तो उसे हम Special Home में लाते हैं और जो दूसरे surrendered या abandoned बच्चे होते हैं, उनको हम Shelter Home में लाते हैं। उसके बाद Shelter Home से वे Children's Home में चले जाते हैं, जहां के लिए सभी मैम्बर्स ने यह बात कही कि उन्हें अच्छी जगह में पढ़ाया-लिखाया जाना चाहिए। मैं भी यह बताना चाहती हूं कि बच्चे वाकयी हमारे देश की धरोहर हैं और उनको ठीक करना, सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उनके ऊपर उस बीमारी का मानसिक असर न पड़े, चाहे वह टी.बी. हो, चाहे sexually transmitted diseases हों, चाहे दूसरी बीमारियां जैसे leprosy हो, जिनसे दूसरे लोग घृणा करते हैं, इसलिए हमने उनको कहा कि उनको segregate न करें, उनको एक साथ रखें। महोदय, Juvenile Justice बोर्ड को बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों के सपोर्ट के लिए मैं बताना चाहती हूं कि केंद्र सरकार ने अभी Integrated Child Protection Scheme (आई.सी.पी.एस.) बनाई है, जिसके तहत The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act के सपोर्ट के लिए हम एक स्टेट को, अगर उस स्टेट में 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 10 लाख रुपए देते हैं और अगर उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 20 लाख रुपए उस स्टेट को दिए जाते हैं ताकि इस ऐक्ट के अंदर जो होम्स बनाए जाएं, जो उसके डिस्ट्रिक्ट्स ...**(व्यवधान)**...

कुछ माननीय सदस्य: 20 लाख से क्या होगा?

श्री रुद्रनारायण पाणि (ओडिशा): हम एम.पी. फंड से दे देंगे।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: आप एम.पी. फंड से देंगे तो अच्छा है, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि उनको इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। डा. नाच्चीयप्पन ने कहा कि यह बहुत effective है और उन्होंने इसका सपोर्ट किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। तीसरा, जैसा श्री गंगा चरण जी ने कहा कि बच्चे जब अपराध करने के बाद होम में आते हैं तो उन्हें वहां पर योग की शिक्षा दी जाए। इस संबंध में मैं राज्य सरकारों को जरूर कहूंगी कि जो बच्चे होम में आएं, उन्हें इस प्रकार के योग की शिक्षा दी जाए, उन्हें इस योग्य बना दिया जाए कि बाहर निकलने के बाद वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगी। अभी शशि भूषण जी ने इस बिल का सपोर्ट किया, पाटील जी ने किया, आर.सी. सिंह जी ने किया ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सबने सपोर्ट किया है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: एक बात और कही गयी कि होम्स नहीं है। जो मेरे पास आंकड़े हैं, वे यह बताते हैं कि 2010-11 में 1199 होम्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो अलग-अलग राज्यों में हैं। ऐसे बहुत से राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पुडुचेरी ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मंत्री महोदया, आप सिर्फ एक काम करा दीजिए कि मेडिकल चेकअप फ्रिक्वेंटली हो, इस चीज़ का बंदोबस्त होना चाहिए। सिर्फ मेडिकल चेकअप की व्यवस्था आप करा दीजिए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: आपने बहुत अच्छी बात कही। यह व्यवस्था ऑलरेडी है।

श्री एस.एस अहलुवालिया: नहीं है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: यह व्यवस्था है। यह राज्य सरकारों को करना होता है। हमारी व्यवस्था में यह है।

श्री एस.एस अहलुवालिया: मैं आपको हरेक राज्य सरकार की रिपोर्ट पढ़ा सकता हूं। हर रिपोर्ट में यही लिखा है कि there is no medical check-up facility in the centre. यह बात आप लागू करा दीजिए, तब सब कुछ ठीक है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: महोदय, अहलुवालिया जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं कहना चाहूंगी कि ऑलरेडी यह प्रावधान है, हर स्टेट को यह बात कही जा चुकी है।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): फिर भी, आप एक बार फिर से देख लीजिए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: सभी राज्यों के मंत्रियों की मीटिंग में भी मैंने इस बात को रखा था और उनको यह डायरेक्शन दी गयी है ...**(व्यवधान)**...

श्री बृजलाल खाबरी (उत्तर प्रदेश): यह कहकर कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कह दिया है, आप स्टेट गवर्नमेंट्स का बहाना बनाकर ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती कृष्णा तीरथ: मैंने अभी कहा कि आईसीपीएस के अंतर्गत हम उन्हें दस लाख और बीस लाख रुपए दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री बृजलाल खाबरी: स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डालने का कोई मतलब है ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अगर 15 डिस्ट्रिक्ट्स से नीचे हों तो दस लाख रुपए और अगर उससे ऊपर हों तो बीस लाख रुपए हम दे रहे हैं। इस संबंध में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं।

श्री एस.एस अहलुवालिया: मंत्री जी, आप कहती हैं कि आंध्र प्रदेश का सबसे अच्छा होम है। आप आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि वे क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट में पहली रिकमेंडेशन में लिखा है कि you implement the provision of regular medical check-up of these people. There is no such provision. You are saying that there is a provision that States should implement it. But, who is monitoring this? Nobody is monitoring it.

SHRIMATI KRISHNA TIRATH: I think the State Government's Child Welfare Committee is monitoring this. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसको मॉनिटर करती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो मैंबर्स होते हैं, उनके स्टाफ के सपोर्ट के लिए आईसीपीएस के अंतर्गत जो हम सपोर्ट देते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हर स्टेट में अगर 15 डिस्ट्रिक्ट्स से नीचे हैं तो दस लाख रुपए और अगर उससे ऊपर हैं तो बीस लाख रुपए दिए जाते हैं। महोदय, सभी सदस्यों का, जिन्होंने बिल का समर्थन किया, जिन्होंने बिल पर अपने विचार रखे, अपने सुझाव दिए, मैं धन्यवाद करती हूं। अंत में, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इस बिल को पास किया जाए।

श्री अविनाश राय खन्ना: महोदय, मैंने एक बात कही थी कि इनके इलाज का खर्चा कौन करेगा? अभी तक इन्होंने इस बारे में नहीं बताया है कि वह खर्चा कौन करेगा? जो आज अमेंडमेंट हो रहा है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: उन्होंने बताया कि दस लाख और बीस लाख रुपए वे देंगे।

श्री अविनाश राय खन्ना: इतने बच्चों को हम नर्सिंग होम में, सिविल अस्पताल में शिफ्ट करेंगे, उनका खर्चा कौन बियर करेगा?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: जैसा मैंने कहा कि आईसीपीएस के अंतर्गत जो पैसे दिए जाते हैं, राज्य सरकारें, जो-जो उनके ईयरमार्क्स हैं, उन्हें वहां खर्च करेंगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010 for consideration. The question is:

That the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010 be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1-Short title and Commencement

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, There is one amendment (No.2) by the hon. Minister.

SHRIMATI KRISHNA TIRATH: Sir, I move:

2. That at page 1, line 3, for the figure "2010" the figure "2011" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Enacting Formula, There is one amendment (No. 1) by the hon. Minister.

SHRIMATI KRISHNA TIRATH: Sir, I move:

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-first", the word "Sixty-second" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRIMATI KRISHNA TIRATH: Sir, I beg to move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:The House is adjourned till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at eleven minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty-one minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

PRIVATE MEMBER'S BILLS

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, we shall take up Private Members' Legislative Business. Bills for introduction.

The Girl Child (Free and Compulsory Education) Bill, 2010

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free and compulsory education to every girl child whose parents are living below poverty line and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Rajkumar Dhoot, not present. Now, Shri Narendra Kumar Kashyap.